कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 125/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री लक्षमण बडेरा,जटियो का नया मोहल्ला बाडमेर तहसील बाडमेर जिला बाडमेर।

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।

--प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः-23.01.2018

यह अपील सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई है।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपीलार्थी की अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपीलार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई जाने पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र कमांक 36 दिनांक 08.01.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र के साथ संलग्न पत्र कमांक 1338 दिनांक 22.11.2017 की फोटो कापी का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला श्रम कल्याण अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरित करते हुए जिसकी सूचना अपीलार्थी को भिजवाया जाना पाया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला श्रम कल्याण अधिकारी हनुमानगढ द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाने पर अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला श्रम कल्याण अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार प्रथम अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अतः वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निर्णीत की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ